प्रेस नोट थाना कैण्ट गोरखपुर दिनांक 27.09.2020

थाना कैण्ट क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 21.09.2020 को हुई फायरिंग की घटना की साजिश कर्ता शातिर अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 21.09.2020 को विशुनपुरा मोड़ व आर0के0बी0के0 मारुति शोरुम के पास बदमाशो द्वारा सड़क सरेआम फायरिगं करते हुए दहशत फैलाते हुए एक व्यक्ति को घायल कर देने के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 1228/20 धारा 147/148/149/307/323/504/506/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत हुआ था। इससे पूर्व दिनांक 20.02.2020 को पासा रेस्टोरेन्ट के पास हुई घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर एनसीआर नं0 120/20 धारा 323 आईपीसी पंजीकृत किया गया था जिसे मु0अ0सं0 1231/20 धारा 147/148/149/307/323/504/506/427 में परिवर्तित किया गया था । जिसमें मोहद्दीपुर मे हुई घटना के साजिशकर्ता पासा रेस्टोरेन्ट के संचालक जाकिब खान का नाम प्रकाश में आया था। इस घटना को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा गम्भीरता से लेते हुए घटना के अनावरण एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में , श्रीमान क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक कैण्ट के नेतृत्व में कई टीमें बनाकर कर लगायी गयी थी। जिसके क्रम में पूर्व में घटना का अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 08 शातिर अपराधियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कई टीमें लगी हुई है , जिसके क्रम में आज दिनांक 27.09.2020 को समय 07.10 बजे चारफाटक मोहद्दीपुर गोरखपुर के पास घटना के साजिशकर्ता अभियुक्त जाकिब खान पुत्र जकी खान निवासी पुर्दीलपुर म0न0 241 थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. जाकिब खान पुत्र जकी खान निवासी पुर्दीलपुर म0न0 241 थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमा राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 शरफराज अहमद थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. कां0 साहबलाल थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां0 सुजीत कुमार यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. कां0 अजीत वर्मा थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर